रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248983 CG-DL-E-25092023-248983

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541] No. 541] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2023/आश्विन 3, 1945 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023/ASVINA 3, 1945

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 683(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के प्ररूप एफसी-4 में, क्रम संख्यांक 3 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खक) विदेशी अभिदाय में से सुजित जंगम आस्तियों के ब्यौरे (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को) :

क्र.सं.	आस्तियों के वर्णन	वित्तीय वर्ष के आरंभ पर मूल्य (रु. में)	अर्जित आस्तियों का	निपटान की गुई आस्तियों	वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र के
			मूल्य (रु. में)	का मूल्य (रु. में)	अनुसार मूल्य (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

6093 GI/2022 (1)

(खख) विदेशी अभिदाय में से अर्जित स्थावर संपत्तियों के ब्यौरे (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को) :

क्र.सं.	स्थावर संपत्ति के ब्यौरे (भूमि/भवन आदि)	आकार	अवस्थिति (पूर्ण पता)	तुलन पत्र के अनुसार मल्य (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[फा. सं. II/21022/23(12)/2020-एफसीआरए-III]

के. संजयन, निदेशक (एफसीआरए)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 349(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्, सा.का.नि. संख्यांक 292(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 966(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. संख्यांक 199(अ), तारीख 7 मार्च, 2019, सा.का.नि. संख्यांक 659(अ), तारीख 16 सितंबर, 2019, सा.का.नि. संख्यांक 695(अ), तारीख 10 नवंबर, 2020 और शुद्धिपत्र सा.का.नि. संख्यांक 17(अ), तारीख 11 जनवरी, 2021 और सा.का.नि. संख्यांक 506(अ), तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2023

- G.S.R. 683(E) .—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-
- Short title and commencement. (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, in Form FC-4, in serial number 3, after clause (b), the following shall be inserted, namely:-

"(ba) Details of movable assets created out of foreign Contribution (as on 31st March of Financial Year):

Sl. No.	Description of the assets	Value as on beginning of the Financial Year (in Rs.)	Value of assets acquired during the Financial Year (in Rs.)	Value of assets disposed of during the Financial Year (in Rs.)	Value as per the balance sheet at the end of the Financial Year (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(bb) Details of immovable properties acquired out of foreign contribution (as on 31st March of Financial Year):

Sl.	Details of immovable asset (Land	Size	Location	Value as per the
No.	/Buildings etc.)		(Complete address)	balance sheet (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[F. No. II/21022/23(12)/2020-FCRA-III] K. SANJAYAN, Director (FCRA)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended, vide G.S.R. 292 (E), dated the 12th April, 2012, G.S.R. 966 (E), dated the 14th December, 2015, G.S.R. 199 (E), dated the 7th March, 2019, G.S.R. 659 (E), dated the 16th September, 2019, G.S.R. 695(E), dated the 10th November, 2020 and a Corrigendum vide G.S.R. 17(E), dated the 11th January, 2021, and G.S.R. 506(E), dated the 1st July, 2022.